प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती मालती देवी उर्फ बिट्टा पत्नी स्व० मिठाईलाल, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-19.11.2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती मालती देवी उर्फ बिट्टा पत्नी स्व० मिठाईलाल, जो पीपलगंज, थाना-धूमनगंज, जनपद-प्रयागराज की निवासी है। मालती देवी का अवैध सम्बन्ध उदयराज से था जिसका विरोध उदयराज की पत्नी गीता देवी करती थी। इसी कारण दिनांक 19-04-2003 को उदयराज के साथ मिलकर श्रीमती गीता देवी की गला दबाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-906/2003, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-15, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनांक 30-03-2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08-05-2019 द्वारा अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11-05-2024 अपरिहार 09 वर्ष, 07 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 01 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट, प्रयागराज द्वारा अपनी आख्या में महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने वाला, महिला बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध को देखते हुए जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा पुलिस उपायुक्त की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सिद्धदोष महिला बन्दी मालती देवी उर्फ बिट्टा पत्नी स्व० मिठाई लाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 11.05.2024 के अनुसार महिला बन्दी की 68 वर्ष 09 माह 23 दिन की आयु, महिला बन्दी की स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने एवं कारित अपराध की प्रकृति, महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनाक 11.05.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष, 07 माह. 05 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 01 माह 20 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी विन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मालती देवी उर्फ बिट्टा (बन्दी संख्या-233/2019) पत्नी स्व० मिठाई लाल, निवासी जनपद-प्रयागराज की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-204/2026/2096(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
2- पुलिस उपायुक्त, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।